

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री झुन्नु मल्लिक, प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, पुरनहिया, शिवहर के विरुद्ध ज0वि0प्र0 विक्रेता द्वारा की गई शिकायत एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शिवहर के न्यायालय में दायर वाद संख्या-95/2024 के संबंध में समर्पित स्पष्टीकरण के असंतोषजनक पाये जाने, अनुकम्पा आधारित ज0वि0प्र0 दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक से आवेदन जाँच के क्रम में NR रशीद के नाम पर 22,000/- रुपये की राशि लिये जाने और इस संबंध में समर्पित स्पष्टीकरण के संतोषजनक नहीं पाये जाने, विभागीय सचिव द्वारा दिनांक-09.09.2024 को आयोजित समीक्षात्मक बैठक में आपूर्ति निरीक्षक के Login से लगभग 5,000 लाभुकों द्वारा की गई e-KYC को भूलवश अस्वीकृत किये जाने के लिए आरोप पत्र गठित करने हेतु आदेशित किये जाने, पूर्व निर्धारित बैठक से अनुपस्थित रहने के लिए दिनांक-14.10.2024 का वेतन स्थगित किये जाने एवं इस संबंध में पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने, राशन कार्ड से संबंधित प्राप्त होने वाले आवेदन के निष्पादन में बरती जा रही अनियमितता के संबंध में माँगे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने, माह दिसम्बर, 2024 की उपस्थिति विवरणी के अनुसार कुल-12 दिन अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने तथा इस निमित्त माँगे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने, नये राशन कार्ड निर्गत हेतु अनुशंसित आवेदनों में से अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा Randomly जाँच में गंभीर अनियमितता पाये जाने और इस संबंध में दिनांक-22.02.2025 को पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने के साथ आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रतिकूल होने जैसे प्रतिवेदित गंभीर आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, शिवहर के पत्रांक-157 दिनांक-01.04.2025 द्वारा आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। तदालोक में प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक-229355 दिनांक-15.04.2025 द्वारा श्री मल्लिक से लिखित बचाव बयान की माँग की गयी।

उक्त के क्रम में श्री मल्लिक द्वारा समर्पित बचाव बयान के समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने एवं इनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

2. अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मल्लिक को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-9(1)(क) में वर्णित प्रावधान के आलोक में आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया जाता है।
3. निलंबन अवधि में श्री मल्लिक का मुख्यालय उप निदेशक (खाद्य) का कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया निर्धारित किया जाता है।
4. श्री मल्लिक को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-10 में निहित प्रावधान के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेश पर प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

(वीरेन्द्र कुमार प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-प्र08-गो0आ0(शिवहर)-03/2025- **838** / खाद्य, पटना/दिनांक- **30/05/2025**
प्रतिलिपि-1. जिला पदाधिकारी, शिवहर/उप निदेशक (खाद्य), मगध प्रमंडल, गया/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, शिवहर/अनुमंडल पदाधिकारी, शिवहर/प्रशाखा पदाधिकारी-03/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/श्री झुन्नु मल्लिक, प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, पुरनहिया, शिवहर सम्प्रति निलंबित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।